



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2013/कार्तिक 10, 1935

No. 250]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2013/KARTIKA 10, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नीति संकल्प

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2013

विषय : सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिक अभिगम्यता पर राष्ट्रीय नीति

सं 18(2)/2009- ई -इन्फ्रा-प्रस्तावना:- भारतीय संविधान अन्यथा सक्षम व्यक्तियों सहित अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं भाईचारा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, गुणवत्तापूर्ण स्थिति एवं अवसर सुनिश्चित करता है। यह सभी को समानता का मूल अधिकार, गैर-विभेदीकरण, वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार और सभी को स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है।

इलेक्ट्रॉनिकी के युग में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मनोरंजन, बैंकिंग इत्यादि जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों(आईसीटी) का इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को होने वाली मुश्किलों को कम कर सकता है और साथ ही दैनिक जीवन में स्वतंत्र रूप से होने में उनकी मदद कर सकता है। यह सुनिश्चित करना अचिंवार्य है कि अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी अभिगम हो ताकि वे अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने में सहायक हो।

इलेक्ट्रॉनिक अभिगम पर राष्ट्रीय नीति (नीति) में अशक्तता के आधार पर भेदभाव मिटाने एवं इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी तक समान अभिगम प्रदान करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस राष्ट्रीय नीति में अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की विविध आवश्यकताओं की पहचान की गई है एवं उनकी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

इस नीति में इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी के क्षेत्र में अभिगम की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। इसमें अभिगम मानकों एवं दिशानिर्देशों और सार्वभौमिक डिजाइन संकल्पनाओं को अपनाने एवं उनका पालन करने को सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की गई है।

नीति निम्नलिखित पर आश्रित है :

- (i) भारतीय संविधान
- (ii) 1 अक्टूबर, 2007 को भारत द्वारा अनुसमर्थित अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के अधिकारों पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा (यूएनसीआरपीडी)- धारा 9 एवं अन्य)
- (iii) अन्यथा सक्षम व्यक्ति अधिनियम, 1995 (समान अवसर, अधिकारों की संरक्षा एवं पूर्ण सहभागिता)
- (iv) एशिया प्रशांत क्षेत्र, 1993 में अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता एवं समानता पर उदघोषणा
- (v) समेकित, मुश्किल रहित एवं अधिकारों पर आधारित समाज, 2002 के लिए दिवाकों मिलेनियम ढांचा
- (vi) भारत सरकार का अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (2006)।

2. परिभाषा

(i) "अशक्तता के आधार पर भेदभाव" का मतलब अशक्तता के आधार पर किसी को अलग बताना, शामिल न करना अथवा उस पर प्रतिबंध लगाना है, जिसका उद्देश्य अथवा प्रभाव राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक अथवा किसी अन्य क्षेत्र में सभी मानवाधिकारों और आधारभूत स्वतंत्रता के लिए अन्य लोगों के साथ सामान आधार पर मान्यता न देना अथवा उसे अस्वीकार करना, समान रूप से उसका प्रयोग करना है। इसमें तार्किक समायोजन को अस्वीकार करने सहित सभी प्रकार के भेदभाव शामिल हैं।

(ii) "सार्वभौमिक डिजाइन" का मतलब है अनुकूल अथवा विशिष्ट डिजाइन की आवश्यकता के बिना यथासंभव सीमा तक सभी लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उत्पादों, वातावरण, कार्यक्रमों एवं सेवाओं को तैयार करना। जहां भी आवश्यक है अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के विशेष समूहों के लिए सहायक उपकरण "सार्वभौमिक डिजाइन" से बाहर नहीं होंगे।

3. नीतिगत विवरण

अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को (शारीरिक एवं मानसिक रूप विकृत दोनों को) इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी उत्पाद व सेवाओं के समान एवं निर्बाध अभिगम को सुकर करने एवं उसके लिए स्थानीय भाषा का सहायता उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार इस नीति को अधिसूचित करता है। इसे बाधा रहित वातावरण एवं अधिमानतः बिना अनुकूलन के प्रयोग करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पाद एवं सेवाओं के व्यापक पहुंच के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

4. कार्यक्षेत्र

4.1 नीति के कार्यक्षेत्र में सार्वभौमिक डिजाइन, सहायक प्रौद्योगिकी और स्वतंत्र जीवन सहायक उपकरण के क्षेत्रों में अन्यथा समर्थ व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पादों (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर दोनों) तक अभिगम सहित प्रौद्योगिकीय पक्षों भी शामिल किया गया है।

4.2 नीति में विभिन्न स्टेकहोल्डरों के व्यापक भूमिका एवं कार्यों की परिकल्पना की गई है। स्टेकहोल्डरों की भूमिका एवं कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

मंत्रालय/विभाग/संघ	भूमिका एवं कार्य
केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों एवं उनकी अधीनस्थ एजेंसियां	नीति लागू करना एवं जागरूकता पैदा करना
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग एवं उनके अधीनस्थ एजेंसियां	नीति लागू करना एवं जागरूकता पैदा करना
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी क्षेत्र के संगठन	इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पाद पर अनुसंधान विकास और विनिर्माण
सार्वजनिक तौर पर वित्तीय सहायता प्राप्त संगठन	नीति लागू करना एवं जागरूकता पैदा करना
अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन संगठन	नीति के प्रोत्साहन में इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पाद विकसित करना
आवश्यक सेवा प्रदाता	अन्यथा सक्षम व्यक्तियों को सेवा प्रदान करना
अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए संगठन	अन्यथा सक्षम व्यक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पादों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना
सिविल समाज संगठन	नीति के संबंध में जागरूकता पैदा करना
शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान	अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पादों के प्रयोग पर प्रशिक्षण देना

5. कार्यनीति एवं कार्ययोजना

नीति के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्यनीतियां परिकल्पित की गई हैं :

- सार्वभौमिक इलेक्ट्रॉनिकी अभिगम एवं सार्वभौमिक डिजाइन पर जागरूकता पैदा करना।
- क्षमता निर्माण एवं मूलसंरचना का विकास।
- विशेष शिक्षकों और शारीरिक एवं मानसिक दोनों रूप से विकसित व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं निरूपण के लिए प्रायोगिक इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी केन्द्रों की स्थापना करना।
- अनुसंधान एवं विकास करना, नवोदभव, विचारों, प्रौद्योगिकी इत्यादि चाहे वे स्वदेशी हों या फिर बाहर से आउटसोर्स की गई हों, उनका प्रयोग करना।
- अन्यथा सक्षम महिलाओं/बच्चों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम एवं योजनाएँ तैयार करना।
- अभिगम एवं सहायता हेतु इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी के लिए प्रापण दिशानिर्देश तैयार करना।

6.1 जागरूकता

6.1.1 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी अभिगम्यता-बाधाएं एवं समाधान के संबंध में मीडिया, अभियानों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनार, इत्यादि के माध्यम से जागरूकता पैदा करी जाएगी। इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की अग्रणी भूमिका होगी। अन्य मंत्रालय एवं विभाग और उनकी एजेंसियां, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विभाग एवं उनकी एजेंसियां भी जागरूकता पैदा करने के लिए जिम्मेदार होंगी।

6.1.2 मौजूदा एवं विकसित की जा रही सहायक प्रौद्योगिकियों और स्वतंत्र जीवन होने के लिए सहायक उपकरण तथा उसके लिए चल रही योजनाओं की उपलब्धता के संबंध में जागरूकता पैदा की जाएगी। ऐसी सूचना स्थानीय भाषाओं में सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी।

6.2 शिक्षा

- 6.2.1 इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी पाठ्यचर्या में अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश तथा सार्वभौमिक डिजाइन संकल्पनाएं शामिल होंगी।
- 6.2.2 अन्यथा सक्षम व्यक्तियों द्वारा उपयुक्त प्रकार की सहायता प्रौद्योगिकियों की पहचान करने एवं उनके अधिकाधिक प्रयोग को सुकर करने के लिए पूरे देश में सहायक प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं/पुनर्स्थापना केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
- 6.2.3 सहायक प्रौद्योगिकियां विकसित करने एवं स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सहायक उपकरण बनाने के लिए विशेष शैक्षिक और पुनर्स्थापना पाठ्यचर्या बनाया जाएगा।
- 6.3 अनुसंधान एवं विकास
- 6.3.1 अनुसंधान एवं विकास में इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी उत्पाद विकास के लिए अभिगम्यता मानकों एवं दिशानिर्देशों और सार्वभौमिक डिजाइन संकल्पनाओं को सम्मिलित करने के लिए सहायक प्रौद्योगिकी एवं स्वतंत्र जीवन जीने के लिए सहायक उपकरण के विकास को शामिल किया जाएगा।
- 6.3.2 अभिगम्यता मानकों एवं दिशानिर्देशों और सार्वभौमिक डिजाइन संकल्पनाओं के साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी समाधानों के लिए अनुसंधान एवं विकास हेतु प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 6.3.3 पीपीपी के माध्यम से निजी क्षेत्र को शामिल कर सहायक प्रौद्योगिकियों और स्वतंत्र जीवन जीने में सहायक उपकरण विकसित करने सहित इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी समाधानों हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा डिजाइन संगठनों की सहायता के लिए योजनाएं बनाना।
- 6.3.4 योजना बनाने, कार्यान्वित करने एवं निगरानी करने में पुनर्वास व्यावसायिकों एवं अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
- 6.4 अभिगम्यता मानक
- 6.4.1 नीचे दिए अन्य जैसे डब्ल्यू3सी अभिगम्यता मानक और दिशानिर्देश सहित इस क्षेत्र में लागू मानकों से अथवा अनुकूलित अभिगम्यता मानक एवं दिशानिर्देश तैयार किया जाए अथवा अनुकूल किया जाए।
- एटीएजी (आथरिंग टूल्स अभिगम्यता दिशानिर्देश)
 - डब्ल्यूसीएजी 2.0 (वेब कंटेंट अभिगम्यता दिशानिर्देश)
 - यूएएजी (प्रयोक्ता एजेंट अभिगम्यता दिशानिर्देश)
- 6.4.2 सरकारी वेबसाइटों और ऐसी वेबसाइटों जो अन्यथा सक्षम व्यक्तियों से संबंधित मुद्दों पर कार्य कर रही हैं, के अतिरिक्त नागरिक केन्द्रित साइटों के अभिगम्यता अनुपालन की निगरानी की जाएगी तथा सामान्य ट्रैफिक और जनसाधारण के लिए उच्च प्रभाव की उपभोक्ता लेन-देन से संबंधी साइटों के जरिए पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा।
- 6.5 सूचना सामग्री के लिए अभिगम्य फॉर्मेट
- 6.5.1 प्रकाशन, आवधिक जर्नल, मल्टीमीडिया और पाठ्यपुस्तकों सहित शैक्षणिक सामग्री के साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सूचना सामग्री स्थानीय भाषा सहित अभिगम्य फॉर्मेट में तैयार की जाए।
- 6.6 कार्यान्वयन और निगरानी
- 6.6.1 नीति के कार्यान्वयन के समय मार्गदर्शन एवं निगरानी के लिए राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तर पर अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के संगठनों के प्रतिनिधियों सहित संबंधित मंत्रालयों/विभागों, उद्योग जगत, शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों को मिलाकर बहुपणधारकों की सहभागिता से एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जाए।
- 6.6.2 नीति के कार्यान्वयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटीवाई) नोडल एजेंसी होगी।
- 6.7 खरीद नीति
- 6.7.1 इस नीति की पुष्टि के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी खरीद दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं विकसित की जाएं।
- 6.7.2 सार्वभौमिक अभिगम्यता मानक के अनुरूप हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की लागत अधिक होगी। किसी योजना के लिए बजट निर्धारित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा जाए। सार्वभौमिक अभिगम्यता उत्पाद एवं समाधान सुकर करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएं।
- 6.7.3 अन्यथा सक्षम व्यक्तियों की मदद के लिए विभिन्न मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकार/अन्य संगठनों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। कोई भी नई योजना इस क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के साथ संभावित सीमा तक सहयोग करके बनाए जाए।
- 6.8 वहनीय अभिगम
- 6.8.1 ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईसीटी के वहनीय लागत पर अभिगम के लिए योजनाएं तैयार की जाएं।
- 6.8.2 सहायक प्रौद्योगिकियों एवं स्वतंत्र जीवन होने के लिए सहायक उपकरणों के निर्माण के संबंध में लाभकारी योजनाओं की सूचना अभिगम्य फॉर्मेट एवं स्थानीय भाषा में सूचना उपलब्ध कराई जाए।
- 6.9 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम में संशोधन
- 6.9.1 अन्यथा सक्षम व्यक्ति को अनजाने में कानून के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें संरक्षण देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाएं।
- 6.10 कौशल विकास
- 6.10.1 अन्यथा सक्षम व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाएं।
- 6.10.2 नीति के अंतर्गत सार्वभौमिक अभिगम्यता और सहायक प्रौद्योगिकियों के संबंध में क्षमता विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाए।
7. नीति की समीक्षा
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समय-समय पर नीति की समीक्षा की जाएगी।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY
(Department of Electronics and Information Technology)
POLICY RESOLUTION

New Delhi, the 25th October, 2013

Subject : National Policy on Universal Electronic Accessibility

No. 18(2)/2009-E-Infra – Preamble - The Constitution of India ensures justice, equality, liberty and fraternity and assures dignity of the individual and quality of status and opportunities to all its citizens including differently abled persons. It also ensures the fundamental rights to equality, non-discrimination, freedom of speech and expression and the right to life and liberty to all.

In the electronics age, Electronics and Information & Communication Technologies (ICTs) are used in all areas of life such as education, health, employment, entertainment, banking etc. Electronics & ICTs can mitigate the barriers faced by differently abled persons as well as help them to participate independently in day-to-day life. It is imperative to ensure that Electronics & ICTs are accessible to differently abled so that they act as an enabler for providing equal opportunities to the differently abled.

The National Policy ("Policy") on Electronic Accessibility recognizes the need to eliminate discrimination on the basis of disabilities and to facilitate equal access to Electronics & ICTs. The National Policy also recognizes the diversity of differently abled persons and provides for their specific needs.

The Policy covers accessibility requirements in the area of Electronics & ICT. It recognizes the need for ensuring that accessibility standards and guidelines and universal design concepts are adopted and adhered to.

The Policy anchors to:

- (i) The Constitution of India.
- (ii) The United Nations Convention for the Rights of Persons with Disabilities ratified by India on October 01, 2007 (UNCRPD – Article 9 and others).
- (iii) Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.
- (iv) The Proclamation on the Full Participation and Equality of People with Disabilities in the Asia Pacific Region, 1993.
- (v) The Biwako Millennium Framework for action towards an inclusive, barrier free and rights based society, 2002.
- (vi) National Policy for Persons with Disabilities of the Government of India (2006).

2. Definitions

- (i) "Discrimination on the basis of disability" means any distinction, exclusion or restriction on the basis of disability which has the purpose or effect of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise, on an equal basis with others, of all human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. It includes all forms of discrimination including denial of reasonable accommodation.
- (ii) "Universal Design" means the design of products, environments, programmes and services to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for adaptation or specialized design. "Universal Design" shall not exclude assistive devices for particular groups of differently abled persons where this is needed.

3. Policy Statement

This policy is hereby notified by the Government of India in order to facilitate equal and unhindered access to Electronics and ICTs products and services by differently abled persons (both physically and mentally challenged) and to facilitate local language support for the same. This shall be achieved through universal access to Electronics & ICT products and services to synchronize with barrier free environment and preferably usable without adaptation.

4. Scope

4.1 Scope of the policy covers *technological aspects including* access to Electronics & ICTs products (both hardware & software) and services by differently abled persons in the areas of universal design, assistive technology and independent living aids.

4.2 The policy envisages broad roles and functions of different Stakeholders. The roles and functions of Stakeholders are described below :

Ministries/Departments/Organizations	Roles and functions
Central Government Ministries/ Departments and agencies there under	To implement the policy and create awareness
States/UT Departments and agencies there under	To implement the policy and create awareness
Public Sector Undertakings/Private Sector Organizations	R &D and manufacturing on Electronics & ICTs product
Publicly funded organizations	To implement the policy and create awareness
Research & Development and Design organizations	To develop Electronics & ICTs product in furtherance of the Policy
Essential Service providers	To provide services to the differently abled
Disability Organizations	To promote usage of Electronics & ICTs products among differently abled
Civil Society Organizations	To create awareness about the policy
Educational and Vocational Training Institutes	To impart training on usage of Electronics & ICTs products for differently abled.

5. Strategies and Action Plan

The following strategies are envisaged for the implementation of the Policy:

- (i) Creating awareness on universal electronics accessibility & universal design
- (ii) Capacity building and infrastructure development
- (iii) Setting up of model Electronics & ICTs Centres for providing training and demonstration to special educators and physically as well as mentally challenged persons
- (iv) Conducting Research & Development, use of innovation, ideas, technology etc. whether indigenous or outsourced from abroad
- (v) Developing programmes and schemes with greater emphasis for differently abled women/children
- (vi) Developing procurement guidelines for Electronics & ICTs for Accessibility and Assistive needs.

6.1 Awareness

6.1.1 Awareness shall be created through media, campaigns, conferences, workshops, seminars, etc. about Electronics & ICTs accessibility – barriers and solutions in urban and rural areas. Department of Electronics & Information Technology, Government of India will take the lead role in this regard. Other Ministries and Department and their agencies, State/UT Departments and their agencies will also be responsible for creating awareness.

6.1.2 Awareness shall be created about the availability of existing and emerging assistive technologies and independent living aids as well as schemes for the same. Such information shall be made available in public domain including in local languages.

6.2 Education

6.2.1 Electronics & ICTs curricula shall include accessibility standards and guidelines and universal design concepts.

6.2.2 Assistive Technology laboratories/ rehabilitation centres shall be setup across the country to facilitate differently abled persons to identify the right types of assistive technologies and greater usage.

6.2.3 Special Education and Rehabilitation Curricula will be designed to cover assistive technologies and independent living aids.

6.3 Research & Development

6.3.1 Research & Development to include development of assistive technology and independent living aids to encompass accessibility standards and guidelines and universal design concepts for the Electronics & ICTs product development. Such Research & Development projects to associate differently abled persons also.

6.3.2 Incentives to be provided for R&D for Electronics and ICTs solutions with accessibility standards & guidelines and universal design concepts.

6.3.3 Schemes to be formulated to support Research & Development and Design Organizations for Electronics & ICTs solutions including assistive technologies and independent living aids involving private sector in PPP model.

6.3.4 Representation of *rehabilitation professionals* and person(s) with disabilities be ensured in formulation, implementation and monitoring of schemes.

6.4 Accessibility Standards

4631 GI/13-2

6.4.1 Accessibility Standards and Guidelines be formulated or adapted from prevailing standards in the domain including W3C accessibility standards and guidelines such as given below amongst others :

- ATAG (Authoring Tools Accessibility Guidelines)
- WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines)
- UAAG (User Agent Accessibility Guidelines)

6.4.2 In addition to the Government Web sites and those dealing with the disabilities issues, accessibility compliance of citizen centric sites shall be monitored and due diligence shall be maintained by thoroughfare traffic and consumer transaction sites of high impact to the public.

6.5 Accessible Format for content

6.5.1 Content in electronics format including publications, periodicals, journals, multi-media, etc. and educational material including textbooks etc. be produced in accessible format including local language support.

6.6 Implementation and Monitoring

6.6.1 A High Level Advisory Committee be constituted, with *multi-stakeholders participation*, consisting of the concerned Government Ministries/Departments, industry, academia, representatives including from the organizations representing differently abled at national or state level for overall guidance and monitoring the implementation of the Policy,

6.6.2 The Department of Electronics and Information Technology (DeitY) shall be the nodal department for monitoring the implementation of the Policy.

6.7 Procurement Strategy

6.7.1 Electronics & ICTs procurement guidelines and processes be evolved to conform to this Policy.

6.7.2 The cost of hardware and software compliant with Universal accessibility standards may be costlier. This aspect may be kept in mind while finalising the budget of any scheme. Incentives to be provided to facilitate procurement of Universal accessibility products and solutions.

6.7.3 Many initiatives are being taken by different Ministries/Departments of Government of India/State Government/other organisations for the differently abled. Any new scheme formulated in this regard to synergize, to the extent possible, with ongoing initiatives in the area.

6.8 Affordable Access

6.8.1 Schemes be formulated for affordable access to Electronics & ICTs for differently abled persons in rural as well as urban areas. Open source usage be promoted.

6.8.2 Information about beneficial schemes in the area of assistive technologies and independent living aids be provided in the public domain in accessible formats and in local languages.

6.9 Amendment in Information Technology (IT) Act

6.9.1 Information Technology Act be amended suitably to protect differently abled persons who inadvertently violate some provision of the law.

6.10 Skill Development

6.10.1 Schemes to be formulated for skill development of differently abled persons.

6.10.2 Schemes for capacity development within the Government about Universal accessibility and assistive technologies under the Policy be taken up.

7. Review of the Policy

The Policy shall be reviewed from time to time by the Department of Electronics and Information Technology.

DR. AJAY KUMAR, Jt. Secy.